# न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.)सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्री कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

बअनवान प्रकरण संख्या –7/2016

वादीगण–

1. स्व0 ओमाराम पुत्र स्व0 जैसाराम जाति भील के वारीसानः–
   1/1. उतम कुमार पुत्र ओमाराम जाति भील उम्र 19 वर्ष
   1/2. श्रवण पुत्र ओमाराम जाति भील उम्र 16 वर्ष
   1/3. बसी कुमारी पुत्री ओमाराम जाति भील उम्र 13 वर्ष
   श्रवण व बसी कुमारी दोनो नाबालिग होने से जरीऐ
   कुदरती वली माता चटकी देवी पत्नी ओमाराम जाति भील
   1/4. चटकी देवीपत्नी ओमाराम जाति भील उम्र 40 वर्ष
2. ढलाराम पुत्र स्व0 जैसाराम जाति भील
3. फुलाराम पुत्र स्व0 जैसाराम जाति भील निवासीगण पउं तहसील सिवाना जिला बाडमेर।

**बनाम**

प्रतिवादी :–भुमिधारक राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार, सिवाना।

उपस्थित :–

1. अधिवक्ता, कैलाश पुरी, वादीगण की ओर से
2. राजकीय पैराकार अनुपस्थित ।

**–: निर्णय :–**

दिनांक – 22.08.2022

वादीगण ने यह दावा खातेदारी घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती व व्यादेश का इस कदर पेश किया गया कि सरहद मौजा पऊ, तहसील सिवाना की राजस्व सीमा में खेत खसरा संख्या 137 रकबा 12 बीघा 19 विस्वा किस्म धोरा भूमि आयी हुई है जिस पर वादीगण के पिता जैसाजी का रहा एवम् अब उनके देहान्त के बाद जैसाजी के वारीसान वादीगणका लगातार कब्जा कब्जा कास्त अनन्य रूप से चला आ रहा है उक्त भूमि वादी के पिता का वक्त सेटलमेन्ट से कब्जा काश्त था व बाद उक्त भूमि का राजस्व शिविर मे वादीगण ने उक्त भूमि के नामान्तरणकरण भरने का निवेदन किया जिस पर शिविर प्रभारी द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट मंगवाई किन्तु वादी को मात्र आश्वासन देते रहे लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम ईन्द्राज नही किया गया दिनांक 31.07.1991 को वादी के पिता जैसाराम ने प्रतिवादी को फिर से दरखास्त पेश की मगर उनके द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नही किया गया लेकीन कब्जा काश्त वादीगण का ही रहा जो आज रोज तक मौजुद है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के मातेहत हल्का पटवारी ने वादी को अनुचित बेदखली की धमकी दी, इस पर वादीगण ने 40 वर्षो से कही अधिक पहले के खसरा परिवर्तित निर्धारण के पर्चे हल्का पटवारी को दिखाये, किन्तु हल्का पटवारी ने उनको अनदेखा कर दिया तथा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

तत्काल बेदखली की धमकी दिनांक 01.03.2016 को दोहराई। तब वादी द्वारा प्रतिवादी को धारा 80 सी.पीसी. को नोटिस देकर वादी को उक्त भूमि पर खातेदार कास्तकार घोषित करने व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु कानूनी नोटिस दिया उसके बावजूद भी प्रतिवादी द्वारा वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नही किया गया तब वादी को उक्त भूमि की रेकर्ड दूरस्ती व वादीगण के नाम भूमि को घोषित कराने हेतु उक्त वादपत्र पेश किया है। वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी जरिये प्रतिनिधि उपस्थित हुआ जिसमें जवाब पेश कर वादी के वाद पत्र के सभी पदो का खण्डन करते हुऐ वाद पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

चुंकि अनवान प्रकरण में प्रतिवादी के जवाब व वादी के वाद पत्र के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई

**आया वादीगण वाद ग्रस्त भुमि के खेत खसरा सख्या 137 सरहद पंऊ वादीगण खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है?**

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में स्वयं पी.डब्लयू 01 ओमाराम व गवाह पी.डब्लयू 02 नुरखां, पी.डब्लयू 03 गजाराम, पी.डब्लयू 04 गंगाराम, पी.डब्लयू 05 चैनाराम को पेश कर न्यायालय में बयान कलमबद्ध करवाये गये लेकिन प्रतिवादी की ओर से कोई पेरोकार उपस्थित नही हुए जिस पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण की ओर से अपने दस्तावेजात राजस्व अभिलेख जमाबन्दी प्रदर्श 01 पेश की तथा वादीगण के कब्जा काश्त होने पर प्रतिवादी द्वारा जुर्माना लगाया गया जिसकी रशीदाद प्रदर्श 02 से प्रदर्श 20 प्रस्तुत की तथा प्रतिवादी द्वारा दिये गये नोटिस प्रदर्श 21 से प्रदर्श 25 प्रस्तुत किया प्रशासन गांवो के संग नियमन हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र प्रदर्श 26 है तथा वादीगण के पुराने कब्जे की खसरा परिवर्तनशील प्रदर्श 27 पेश की है तथा वादी साक्ष्य बंद की गयी, प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य सबुतों में कोई गवाह पेश नहीं किये जाने पर पत्रावली में बहस सुनी गयी, व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य सबुत व गवाह के बयान का ध्यान पूर्वक अवलोकन व मनन किया गया।प्रस्तुत रेकर्ड में न्यायालय को यह तय करना है कि वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है या नही

न्यायालय में समद्व पी.डब्लयू 1 वादीगण स्वंय पेश हुआ जिसने अपने न्यायालय में हुए बयानो में प्रस्तुत वाद के पैरो में दोहराते हुए प्रदर्शित करवाये जिसमें वादी ओमाराम व अन्य गवाह ने न्यायालय मे सशपथ बयान दिये जिनसे प्रतिवादी ने किसी प्रकार से जिरह नहीं कर खण्डन नही किया।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य सबुत व गवाह के बयान से यह स्पष्ट है कि मौके पर खेत खसरा नं 137 रकबा 12.19 बीघाभूमि पर वादीगण का लगातार कब्जा कास्त साबित होता है व प्रदर्श खसरा परीवर्तनशील प्रदर्श 27 के अनुसार वादीगण ने अपना कब्जा कांश्त विगत 30 वर्षो से अधिक रहा होना साबित किया है, तथा उक्त भूमि काबिल काश्त योग्य किस्म धोरा भुमि है जो प्रतिबंधित श्रेणी में नही आती है तथा वादी ने अपना वाद सक्षम देस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से पूर्ण साबित किया है

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा पऊ, तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 137 रकबा 12 बीघा 19 विस्वा (2.0963 हैक्टेयर) किस्म धोरा मे वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में वादीगण की खातेदारी दर्ज कर दुरूस्ती करने का आदेश तहसीलदार सिवाना को दिया जाता है, इसी कदर की डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

निर्णय दिनांक 22.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना